बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(माध्यमिक शिक्षा कार्यालय)
कार्यालय आदेश

पटना दिनांक–02/04/2026

संख्या–01/मा0शि0/स्था0'ख'–68/2024/569/ विभागीय आदेश ज्ञापांक–2331 दिनांक–12.12.2025 के द्वारा सभी सरकारी विद्यालयों हेतु मॉडल टाइम टेबल निर्धारित किया गया, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए ग्रीष्मकाल में दिनांक–06.04.2026 से दिनांक–31.05.2026 (ग्रीष्मावकाश के पूर्व) तक पूरे राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों का संचालन पूर्वाह्न 06:30 बजे पूर्वाह्न् से 12:30 बजे अपराह्न तक निम्न समय–सारणी के अनुसार करने का निदेश दिया जाता है :–

प्रारंभिक, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की समय–सारणी

01	6:30 AM	विद्यालय शूरू होने का समय
02	6:30 AM -7:00 AM	प्रार्थना आदि
03	7:00 AM- 7:40 AM	पहली घंटी
04	7:40 AM - 8:20 AM	दूसरी घंटी
05	8:20 AM -9:00 AM	तीसरी घंटी
06	9:00 AM -9:40 AM	मध्यान्तर–प्रारंभिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का संचालन
07	9:40 AM -10:20 AM	चौथी घंटी
08	10:20 AM -11:00 AM	पाँचवी घंटी
09	11:00 AM -11:40 AM	छठी घंटी
10	11:40 AM -12:20 PM	सातवी घंटी (छात्र एवं छात्राओं के लिए छुट्टी 12:20 PM)
11	12:20 PM -12:30 PM	प्रधानाध्यापक के स्तर से शिक्षकों द्वारा पढ़ाये गये विषयों की समीक्षा, अगले दिन के लिए कार्य योजना एवं छात्रों को दिये गये गृह कार्य की समीक्षा एवं जाँच।

जिन विद्यालयों में वर्ग–01 से 08 तक के छात्र एवं छात्राओं की संख्या अधिक होने के कारण एक साथ मध्यांतर अवधि में मध्याह्न भोजन का संचालन करने में असुविधा होती है, वैसे विद्यालयों में प्रधानाध्यापक द्वारा दो समयांतराल में आधे छात्र एवं छात्राओं को (वर्ग/सेक्शन चिन्हित करते हुए) मध्यांतर अवधि में तथा शेष आधे छात्र एवं छात्राओं को आवश्यकता अनुसार तीसरी/चौथी घंटी में मध्याह्न भोजन करा सकेंगे। निर्धारित मध्यांतर अवधि में ऐसे छात्र एवं छात्राओं के लिए अध्यापन कार्य किया जायेगा।

जहाँ विद्यालय दो शिफ्टों में संचालित हो रहा है, वैसे विद्यालयों के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी गर्मी को ध्यानगत रखते हुए छात्र एवं छात्राओं के अध्यापन के दृष्टिकोण से स्वयं विद्यालय के संचालन के संबंध में निर्णय लेंगें।

ग्रीष्मावकाश के पश्चात् राज्य के सभी प्रारंभिक, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन पूर्ववत् 09:30 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक किया जायेगा।

नोटः— ग्रीष्मकाल में राज्य में पड़ने वाली भीषण गर्मी एवं लू को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी जिला पदाधिकारी अपने स्तर से प्रारंभिक/माध्यमिक विद्यालयों के संचालन में संशोधित कर सकते है।

उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

02/04/26

निदेशक (मा०शि०)
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— 01/मा0शि0/स्था0'ख'—68/2024/569 पटना दिनांक—02/04/2026
प्रतिलिपि— माननीय मंत्री महोदय के आप्त सचिव/विकास आयुक्त, बिहार/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी निदेशक/ सभी जिला पदाधकारी/ सभी जिला शिक्षा पदाधकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/सचिव, संस्कृत शिक्षा बोर्ड/सचिव, मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्रधानाध्यापक राजकीय/राजकीयकृत प्रारंभिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02/04/26

निदेशक (मा०शि०)

ज्ञापांक— 01/मा0शि0/स्था0'ख'—68/2024/569 पटना दिनांक—02/04/2026
प्रतिलिपि— निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं प्रचार—प्रसार करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02/04/26

निदेशक (मा०शि०)